भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4221
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की कमी

4221: श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंजाब राज्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों, जैसा कि हालिया रिपोर्टों में बताया गया है, की भारी कमी से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव इस मुद्दे के समाधान के लिए चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने और राज्य भर में स्वास्थ्य कर्मियों की समान तैनाती सुनिश्चित करने का उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की पंजाब में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान या प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) पंजाब राज्य में चिकित्सकों और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ख) से (घ): भारत सरकार ने पंजाब को सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने और इसका समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की हैं

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत बठिंडा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और पंजाब राज्य के लिए अमृतसर और पटियाला में दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'**, वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। **पंजाब** राज्य में एसएएस नगर, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में 03 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पंजाब सहित अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सुदृढीकरण, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण शामिल हैं, के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। इनका विवरण सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं :

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

एनएचएम के अंतर्गत, देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के दिशानिर्देश हैं:

- ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके लिए आवासीय क्वार्टर की व्यवस्था, ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना उन्हें आकर्षक लग सके।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव-पूर्व परीक्षण (एएनसी) जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए राज्यों को बातचीत द्वारा वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन लाना शामिल है।
- कठिन क्षेत्रों में सेवारत कार्मिकों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी एनएचएम के तहत शुरू किए गए हैं।
- एनएचएम के तहत विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल होने का समर्थन किया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन करना एनआरएचएम के तहत एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों के 400 पदों, हाउस सर्जनों के 523 पदों और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 754 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के 1390 नए पद सृजित किए गए हैं।

*****